बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग
—::आदेश::—

श्रीमती शुभ्रा जायसवाल, तत्कालीन सहायक अभियंता, अग्रिम योजना प्रमंडल–3, पटना से सक्षम प्राधिकार से अवकाश स्वीकृति के बिना अवकाश में जाने एवं विभागीय पत्रांक 661 दिनांक 07.02.2024 द्वारा योगदान समर्पित करने के दिये गये आदेश के वाबजूद अपना योगदान समर्पित नहीं करने के आरोपों पर विभागीय पत्रांक 3729 अनु0 दिनांक 02.04.2025 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्रीमती शुभ्रा जायसवाल द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 08.04.2025 विभाग में समर्पित किया गया, जिसमें अपने पिताजी के अस्वस्थ्य रहने एवं समय–समय पर अवकाश को आगे बढ़ाने का आवेदन दिये जाने का उल्लेख करते हुए कहा गया कि उनके द्वारा किसी आदेश या नियम का उल्लंधन नहीं किया गया है।

3. श्रीमती शुभ्रा जायसवाल के स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्रीमती जायसवाल को इस शर्त्त पर स्पष्टीकरण से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है कि वे सचेत रहे कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

4. प्रस्ताव में अपर मुख्य सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

1/7/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–1–38/2024 7186 /पटना, दिनांक :– 2-7-25

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख–सह–अपर–आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता, जॉच एवं गुणवत्ता नियंत्रण, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, जॉच गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता अभियंता, जॉच गुणवत्ता नियंत्रण अंचल, औरंगाबाद/प्रशाखा पदाधिकारी–5, ग्रामीण कार्य विभाग/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/25
अवर सचिव